**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 30/2017 (उदयपुर डिक्री)**

आनकी भील पिता रामा भील पत्नी दीता भील, जाति भील, निवासी जोगी तालाब, नेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. कु ाल माता दल्लू बाई पिता नवला जी भील (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती रतनीबाई पत्नी स्वर्गीय कु ाल, निवासी देवाली, बलीचा (गोवर्धन विलास), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती जमना पत्नी पूनमचन्द कटारा पिता स्वर्गीय कु ाल, निवासी गोदाना, तहसील झाड़ोल, उदयपुर हाल निवासी देवाली, बलीचा (गोवर्धन विलास), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती बसन्ती पत्नी मांगीलाल पिता स्वर्गीय कु ाल, निवासी गोदाना, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती गंगा पत्नी बाबूलाल पिता स्वर्गीय कु ाल, निवासी बडी, उदयपुर।

2. श्रीमती नन्दु पिता रामा भील, जाति भील, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती मीराबाई पिता रामा भील, जाति भील, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 29.09.2015, प्र.सं. 259/10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री देवनारायण मीणा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दुर्गासिंह भाक्तावत अभिभाशक रे.सं. 1/1 से 1/4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो.सं. 4

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय** **दिनांक 14–12–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पूर्वाधिकारी एवं मूलपुरूश स्वर्गीय देवा पिता लाला भील के कृशि भूमि साबिक आराजी नंबर 617 व 614 राजस्व ग्राम सवीना में स्थित थी, जिसका अंकन ग्राम सवीना की जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 में किया गया था, किन्तु उक्त भूमि हाल में नव सृजित राजस्व ग्राम नेला में सम्मिलित कर दी गयी है। मूलपुरूश देवा के एक मात्र पुत्र रामाजी हुए, जिसकी ब्याहता पत्नी श्रीमती दलूबाई से दो पुत्र चुनिया व वादी कु ाल हुए एवं एक पुत्री गणे ी भी हुई, जिसमें से चुनिया की मृत्यु लावारिस हुई तथा दलूबाई व गणे ी की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार देवा के वारिसों में एक मात्र वारिस वादी ही जीवित उत्तराधिकारी है। कालान्तर में देवा एवं उसके पुत्र रामा का सन् 1955 में स्वर्गवास होने के बाद वादी के भाई चुनिया ने उक्त आराजी अकेले के नाम पर अंकित करवा ली, जबकि रामा के वारिसान के रूप में उसके पुत्र वादी का नाम भी राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना चाहिए था। संवत् 2030 से 2033 के अन्तराल में चुनिया की मृत्यु प चात त्रुटिव ा हीरकी को चुनिया की माता बताकर उनके नाम पर भूमि नामान्तरित कर दी गयी, जबकि चुनिया एवं वादी कु ाल की माता दलुबाई थी। उक्त भूमि गलती से हीरकी के नाम अंकित हो जाने से प्रतिवादी सख्या 1 ने नाजायज लाभ उठाकर हीरकी के प चात् सेटलमेन्ट वालों से मिलकर उक्त साबिक आराजी से बने नये नंबर 2718 व 2729 कुल किता 2 रकबा 0.6800 हैक्टर अपने नाम नामान्तरित करवा ली, जबकि उसे विरासत से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः नवसृजित गांव नेला की आराजी नंबर 2718 व 2719 कुल किता 2 रकबा 0.6800 हैक्टर का वादी को खातेदार घोशित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी एवं सेटलमेन्ट के प चात बने नये नंबर भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुए। वादग्रस्त भूमि कभी भी वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की नहीं रही है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 4 तनकियात कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–09–2015 से वादी का वाद स्वीकर कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह भाक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। दिनांक 09–11–2021 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने उपस्थित होकर भापथ पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वकील देवीलाल जाट को नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने अपीलान्ट को कहा कि हर पे ी पर उपस्थित होने की आव यकता नहीं है, जरूरत होने पर समाचार दे देंगे, किन्तु वकील साहब स्वयं पे ी तारीख डायरी में लिखना भूल गये एवं प्रार्थीया को कभी भी न्यायालय में उपस्थिति होने बाबत सूचना नहीं दी। इस कारण उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 27–03–2017 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त आवेदन में देरी के जो भी कारण बताये हैं वह न तो उचित कारण हैं एवं न ही पर्याप्त कारण। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद बाहर होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 1 वर्श से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी के कारण बताये हैं, वह न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

उचित प्रतीत होते हैं, न ही इतने विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08–10–2018 को आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। इसके बाद पुनः दिनांक 28–11–2018 को आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी दिनांक 23–11–2021 को आदे ा 41 नियम 27 व 28 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त आवेदनों पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08–10–2018 को प्रस्तुत आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है, वे समस्त दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। जहां तक अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28–11–2018 को प्रस्तुत दस्तावेजों का प्र न है, उक्त समस्त दस्तावेजात भी राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें भी रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 23–11–2021 के आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें जो दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां है, उन्हें न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु जो दस्तावेज प्रमाणित नहीं होकर मात्र फोटो प्रतियां हैं, उन्हें रेकार्ड पर लेने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार उक्त आवेदन के साथ दोनों पक्षों की ओर से जो भी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि देवा पिता लाला भील के नाम दर्ज थी, जो देवा के स्वर्गवास के बाद रामा पिता देवा के

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज हुई। रामा जी ने एक ही भाादी की थी, हीरकी उनकी भाादी भाुदा पत्नी है, जिसके एक लड़का चुन्नीलाल व चार लड़कियां पैदा हुई, जिसमें से एक लड़की राधाबाई का स्वर्गवास हो गया तथा चुन्नीलाल का भी स्वर्गवास हो गया, जिसके कोई वारिस नहीं होने से जमीन रामा की पत्नी हीरकी के नाम दर्ज हुई एवं हीरकी के मरने के बाद उसकी तीनों पुत्रियों आनकीबाई, नन्दूबाई व मीराबाई बची। मीराबाई व नन्दूबाई ने सहमति से कथित जमीन आनकीबाई के नाम दर्ज करा दी, जिसके 25 वर्शो बाद कु ाल रामा का पुत्र नहीं होते हुए भी रामा का पुत्र बताकर वाद पे ा किया, जो गलत होकर निरस्त योग्य है। भील जाति में लड़कियां अपने पिता की जायदाद की वारिस होती हैं, जैसाकि सुप्रिम कोर्ट ने भी तय किया है। कु ाल रामा का पुत्र नहीं होते हुए भी भूमाफियाओं से मिलकर दावा डिक्री करा लिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रामा जी के दो पत्नियां हीरकी व दल्लुबाई थी। हीरकी की वारिस आनकी, राधाबाई व नन्दूबाई है, जबकि दल्लुबाई के दो पुत्र चुनिया व कु ाल एवं एक पुत्री गणे ी हुई, जिसमें से चुनिया लाऔलाद फोत हो गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विधिवत विवेचन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2011 0 सुप्रिम (राज.) 1455, 2012 2 आर.एल.डब्ल्यू (आर.जे.) 749, 2006 0 सुप्रिम (राज.) 784, 2006 2 आर.एल.डब्ल्यू (आर.जे.) 813, 2006 0 सुप्रिम (राज.) 299, 2006 2 ए.आई.आर.(राज.) 162, 2006 2 आर.एल.डब्ल्यू (आर. जे.) 695, 2006 2 डब्ल्यू.एल.सी. 463 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह निर्विवाद है कि विवादित आराजियात देवा पिता लाला भील के खाते दर्ज थी तथा लाला का पुत्र रामा हुआ। रामा की दो पत्नियां हीरकी व दल्लुबाई थी, जिसमें से हीरकी की चार पुत्रियां आनकी, राधाबाई व नन्दूबाई व मीराबाई हुई, जबकि दल्लुबाई के दो पुत्र चुनिया व कु ाल एवं एक पुत्री गणे ी हुई। चुनिया लाऔलाद फोत होने के बाद रामा के वारिसों में पुरूश संतान के रूप में कु ाल ही जिवित संतान रही। चूंकि विवादित आराजियात रामा [illegible] अनुसूचित जनजाति के सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

की थी, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं भील समाज में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलान्ट आनकी का कथन है कि कु ााल रामा का पुत्र नहीं था, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 29–07–2013 जो प्रद र्ा 9 है, के अवलोकन से स्पश्ट है कि कु ााल रामा का पुत्र है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में स्पश्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात हाल अपीलान्ट महिला होकर मीणा जाति की सदस्य है, जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं इस आधार पर वादी कु ााल का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि दौराने अपील विवादित भूमि के क्रेता पूनमचन्द पिता नवलराम कटारा द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए अपीलान्ट आनकी बाई के साथ आपसी राजीनामा किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट आनकीबाई ने 15,00,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये जरिये चेक प्राप्त किये हैं एवं 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये नगद प्राप्त किये हैं, जिससे भी अपीलान्ट का विवादित आराजियात में अब किसी प्रकार का हक अधिकार भोश रहना प्रतीत होता है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई निर्णय अथवा न्यायिक नजीर प्रस्तुत नहीं की है, जिसके आधार पर भील समाज में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता हो, जबकि दूसरी ओर वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार अनुसूचित जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होती हैं एवं उनकी प्रचलित प्रथा अनुसार पिता की सम्पत्ति में भाादी भुादा पुत्रियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में प्रथम दृश्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं तद्नुसार अपील को सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 14–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम.एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

**आनकी भील पुत्री रामा भील पत्नी दीता भील, जाति भील, निवासी जोगी तालाब, बलीचा नेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर** बनाम **मृतक कु ाल के बजाय श्रीमती रतनीबाई पत्नी स्व. कु ाल, निवासी देवाली (गोवर्धन विलास) तहसील गिर्वा व अन्य**

अपील नं.....**30 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....29**.....माह.....**09**.....**2015**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री देवनारायण मीणा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दुर्गासिंह भाक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये.....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....**2021** को जारी किया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested